भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4454
दिनांक 28.03.2023/07 चैत्र,1945 (शक) को उत्तर के लिए

दुर्व्यापार के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति

†4454. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार के पास विगत पांच वर्षों के दौरान दुर्व्यापार के उन पीड़ितों की कुल संख्या से संबंधित आंकड़े रखे हैं, जिन्हें मुआवजा प्रदान किया गया था;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) ने पीड़ितों को निधि प्रदान करने के आदेश पारित किए हैं लेकिन उसे समय पर संवितरित नहीं किया गया है;
(घ) यदि हां, तो ऐसे पीड़ितों की संख्या कितनी है;
(ङ) क्या सरकार पीड़ितों को मुआवजे के संवितरण में हो रहे विलंब को दूर करने के लिए कोई सकारात्मक उपाय कर रही है;
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(छ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक एसएलएसए के पास पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत पर्याप्त निधि उपलब्ध हो, कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

क) से (छ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' "राज्य-सूची" के विषय हैं। इसलिए, मुख्य रूप से यह संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है कि वे मानव दुर्व्यापार के पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाएं।

लोक सभा अतारंकित प्र.सं. 4454, दिनांक 28.03.23

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, मानव दुर्व्यापार के पीड़ितों को प्रदान किए गए मुआवजे के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा केंद्रीयकृत रूप से उपलब्ध नहीं है। पीड़ितों को मुआवजा देने और संवितरित करने की कार्यप्रणाली का प्रबंधन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है और अलग-अलग राज्यों में यह कार्य प्रणाली उनकी संबंधित योजनाओं के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं। यद्यपि, मुआवजे की राशि के निर्धारण में कानूनी सेवा प्राधिकरणों की भूमिका होती है, परन्तु इस राशि का वास्तविक संवितरण संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्राधिकारियों द्वारा अनुरक्षित और जारी की गई धनराशि पर निर्भर करता है।

तथापि, गृह मंत्रालय ने 'निर्भया फंड' के तहत वर्ष 2016-17 में केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 200 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान जारी किया था, ताकि पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता प्रदान की जा सके।

*****